प्रेषक,

नितेन्द्र कुमार
अपर जनपद न्यायाधीश (बलात्कार सहित पोक्सो एक्ट)
न्यायालय संख्या–09, झांसी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश महोदय,
झांसी।

विषय– **स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में सम्मानपूर्वक निवेदन करना है कि शासनादेश संख्या–4601/16–11–79–9/155/79 चिकित्सा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 23.02.1980 में यह व्यवस्था दी गई है कि 40 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने अपना परिवार 02 बच्चों तक सीमित रखा हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–9 (23)(बी) के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन अनुमन्य किया गया है, जो भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर ही पूर्ण सेवाकाल में मिलता रहेगा।

इसी क्रम में निवेदन करना है कि **मेरी जन्मतिथि 25.12.1977 है**, जिसके अनुसार मैं लगभग 44 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ। मेरी 01 ही सन्तान है, जिसकी **जन्मतिथि 23.02.2009 है।** उपर्युक्त वर्णित शासनादेश में प्रदत्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों के दृष्टिगत् मैं दिसम्बर 2017 में 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हूँ एवं मेरा पुत्र फरवरी 2019 में 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत मुझे नियमानुसार दिनांक 23.02.2019 से स्वैच्छिक परिवार कल्याण के अन्तर्गत देय वैयक्तिक वेतन/अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, माननीय उच्च न्यायालय से स्वीकृत कराने की कृपा करे।

सम्मान् सहित।

भवदीय,

07-01-2022

(नितेन्द्र कुमार)
अपर जनपद न्यायाधीश,
(बलात्कार सहित पोक्सो एक्ट)
न्यायालय संख्या–09, झांसी।

दिनांक – 07-01-2022